



भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबन्धन संस्थान  
बरौंडा, रायपुर, छत्तीसगढ़-493 225  
ICAR-NATIONAL INSTITUTE OF BIOTIC STRESS MANAGEMENT  
Baronda, Raipur, Chhattisgarh - 493 225  
(A Deemed-To-Be-University)



honibsm@gmail.com, ao.nibsm.cg@nic.in, Fax No.: 0771-2225351, Tel. No.: 0771-2225333

F. No. 2-111/NIBSM/2020-21/03

Dated: 09.04.2021


### OFFICE ORDER

In order to implement preventive measures to contain the spread of Novel Corona Virus (COVID-19) in Raipur district and adjacent areas of Chhattisgarh in continuation with office order issued by Government of Chhattisgarh directing to comply with preventive measures (आदेश क्रमांक/312/एस. डब्ल्यू./2021 दिनांक 07/04/2021 कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर (छ.ग.) for lockdown in Raipur district and closing of all the institutions including Central Govt. organizations, the Competent Authority has decided that ICAR-NIBSM, Baronda, Raipur shall remain close from **09.04.2021 06:00 PM** to **19.04.2021 06:00 AM** or till further order whichever is earlier. Further, CPWD work shall remain continue deploying onsite staff following COVID-19 guidelines.

However, essential services/work like security, water and electric supply, protection of valuable experimental materials etc shall continue with minimal onsite staff. All the school In-charges should make necessary arrangement accordingly.

All the scientists and staff members are instructed to perform their official work from home. They must ensure their availability through mobile/ E-mail/ Whatsapp/ other electronic media etc and are liable to attend office in case of emergency/ urgency, if any, as decided by the Competent Authority.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

  
(Vinay Kumar)  
Head of Office (I/C)

**Encl:** Copy of Office order issued by District Collector, Raipur

#### **Distribution:-**

1. All the Scientists and Staff, ICAR-NIBSM, Baronda, Raipur
2. PS to the Director, ICAR-NIBSM, Baronda, Raipur
3. Office of JD(R)/JD(Edn)/JD(SCHBR), ICAR-NIBSM, Baronda, Raipur
4. In-Charge Security, ICAR-NIBSM, Baronda, Raipur
5. Chairman, IWMC, ICAR-NIBSM, Baronda, Raipur
6. Finance & Accounts Officer, ICAR-NIBSM, Baronda, Raipur
7. PPS to DDG (CS), ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi
8. Deputy Secretary, Crop Science, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi
9. The Director (Administration), ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi
10. ADG (PP&B), ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi
11. Shri A.A. Goswami, SAO, ICAR-CICR, Nagpur for information
12. Executive Engineer, CPWD, Raipur (C.G.)
13. I/C AKMU, ICAR-NIBSM, Baronda, Raipur for uploading on institute website
14. Guard File

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर

// आदेश //

कमांक/312/एस. डब्ल्यू./2021

रायपुर, दिनांक 7/04/2021

छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन आदेश कमांक 214/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2021 रायपुर, दिनांक 24.03.2021 सहपठित आदेश कमांक 220 दिनांक 25.03.2021, स्पष्टीकरण कमांक 235 दिनांक 27.03.2021, आदेश कमांक 242/एस डब्ल्यू/2021 दिनांक 30.03.2021 तथा आदेश कमांक 281/एस डब्ल्यू/2021 दिनांक 03.04.2021 जारी किये गये हैं। वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला रायपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथाराशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 214/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2021 रायपुर, दिनांक 24.03.2021 सहपठित आदेश कमांक 220 दिनांक 25.03.2021, स्पष्टीकरण कमांक 235 दिनांक 27.03.2021, आदेश कमांक 242/एस डब्ल्यू/2021 दिनांक 30.03.2021 तथा आदेश कमांक 281/एस डब्ल्यू/2021 दिनांक 03.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, डॉ एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :-

1. रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 09.04.2021 शाम 06.00 बजे से दिनांक 19.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कटे-गैट जोन घोषित किया जाता है।
2. उपरोक्त दर्शित अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।
3. उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
4. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश बैंक, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अतिभावंक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
5. दुग्ध पालर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पालर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पालर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
6. पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुवारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
7. एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेरिंगों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगे।
8. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने सिंपरा के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्य की अनुमति होगी।

9. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।
10. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
11. उपरोक्त अवधि में रायपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शरान से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे।
12. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
13. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
14. अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य, या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/विकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप मान्य किया जायेगा।
15. कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
16. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
17. मीडिया कर्मी यथारांभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
18. यह आदेश कार्यालय रंगामीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला, दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेंज एवं कचरे का डिसपोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
19. राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयोचिति में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को समयक समय में तागीली संभव नही होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 09.04.2021 शाम 06.00 बजे से लागू होगा।

  
कलेक्टर  
एवं जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 / 04 / 2021

पृ.क्रमांक / 312 / एस. डब्ल्यू / 2021  
प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कोविड 19 उपयुक्त व्यवहार हेतु गुनादी कराना सुनिश्चित करें।
7. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला रायपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु गुनादी कराना सुनिश्चित करें।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। रायपुर जिला अन्तर्गत आवा-गमन के दौरान उपरोक्त आदेश का कडाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
11. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. ..... रामस्त आम जनता, जिला रायपुर द्वारा संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
कलेक्टर  
एवं जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर